सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 029

Design & Print : kam@kamstudio.net

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2017–18

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली–110 029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	iii
अध्याय–1	प्रस्तावना	1
अध्याय–2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय–3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	9
अध्याय–4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	19
अध्याय–5	क्षमता विकास	33
अध्याय–6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	39
अध्याय–7	आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना	59
अध्याय–8	प्रशासन एवं वित्त	61
	अनुबंध – I	65
	अनुबंध – II	67

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड.डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

अध्याय-1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू-जलवायु एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू-भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू-भाग भूस्खलन प्रवण है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव-जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधार्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू-गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं में और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टत:, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं, जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित हैं।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली के राहत केंद्रित तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें आपदा

प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, प्रशमन तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से संसद की एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.8 एन.डी.एम.ए. का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं :

1.	श्री आर.के. जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई.ए.एस.) (सेवानिवृत्त)	सदस्य (01.12.2015 से)
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (30.12.2014 से)
3.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
4.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के लिए उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के लिए उपायों के करने अथवा इसका असर कम करने के साथ-साथ किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। चूँकि आपदा एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के विस्तृत संगठन की परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव-जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार है :

"रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा-रहित संचार से युक्त

समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके लिए अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा-समुत्थानशील इमारतें बनाने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी एम.) 2009

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2010 को जारी किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन-केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) के मसौदे को एनडीएमए द्वारा कार्रवाई हेतु सेंडई रूपरेखा के आधार पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श से संशोधित किया गया। इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जारी किया गया और यह योजना एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर दिए गए लिंक नीति एवं योजना - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। योजना संशोधित करने के लिए, सभी हितधारकों के विचार/जानकारियां/सिफारिशें प्राप्त करने के लिए एक दो-दिवसीय परामर्शी कार्यशाला का 12 और 13 अप्रैल, 2017 को आयोजन किया गया। इन जानकारियों (इनपुट्स) के आधार पर, यह योजना संशोधन के अंतर्गत है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन-आधारित दृष्टिकोण (मिशन-मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता पर निर्भर रहते हुए, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ-चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

3.4 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा-वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।

- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटरिंग को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है ? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है? के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ कदम

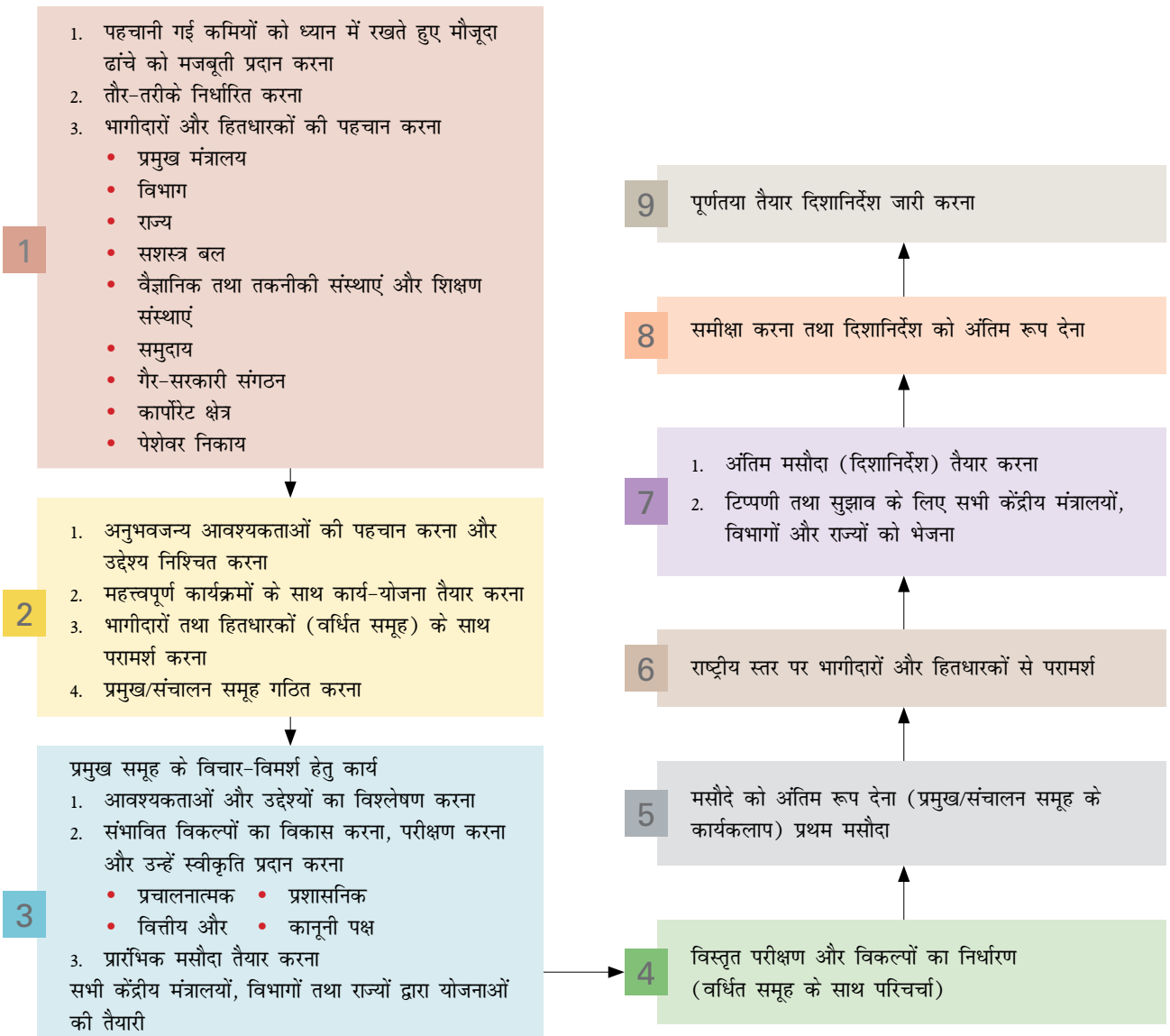

चित्र 3.1

3.5 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा रिपोर्टें जारी की गई हैं–

(i) जारी किए गए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश :

क्र. सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के शीर्षक	उनको तैयार करने/जारी करने का महीना तथा वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना कार्रवाई प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016

22.	राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, जल, सफाई तथा चिकित्सा कवर हेतु राहत के न्यूनतम स्तर	फरवरी, 2016
23.	कार्य योजना की तैयारी-लू की रोकथाम तथा प्रशमन	अप्रैल, 2016 (2017 में संशोधित)
24.	संग्रहालय	मई, 2017
25.	सांस्कृतिक विरासत स्थल तथा आस-पास का परिसर	सितंबर, 2017
26.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017

अन्य रिपोर्टों की सूची

क्र. सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्य प्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग I एवं II
7.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सारांश
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद-भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअल: आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	2015 की बाढ़ के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
17.	शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना

3.6 वर्ष 2016-17 के दौरान जारी दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें

(i) संग्रहालय पर दिशानिर्देश।

(ii) सांस्कृतिक विरासत स्थल तथा आस-पास का परिसर पर दिशानिर्देश।

(iii) नौका सुरक्षा पर दिशानिर्देश।

(iv) 2015 की बाढ़ के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट।

(v) शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना।

(vi) कार्य योजना की तैयारी हेतु दिशानिर्देश-लू की रोकथाम एवं प्रबंधन (2017 में संशोधित)

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

(i) आपदाओं के पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय केंद्रों पर दिशानिर्देश।

(ii) बेहतर पुनर्निर्माण के माध्यम से आपदा से उबरने के लिए पुनर्बहाली पर दिशानिर्देश।

(iii) राज-मिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल।

(iv) आपदा जोखिम न्यूनीकरण समाहित दिव्यांगता (डिसएबिलिटी) पर दिशानिर्देश।

(v) आपदा हेतु लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।

(vi) भूकंप तथा चक्रवात सुरक्षा हेतु गृह-स्वामी गाइड।

3.8 एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित अध्ययन

एन.डी.एम.ए. ने 'भारत का संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र का विकास', 'ब्रह्मपुत्र नदी कटाव और इसके नियंत्रण पर अध्ययन', 'भारत में शहरी केंद्रों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के भू-तकनीकी/भू-भौतिकीय अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज पर रिपोर्ट' तथा 'भारत में भवन टाइपोलॉजी के भूकंपीय असुरक्षितता विश्लेषण' पर अध्ययनों का संचालन किया है। ये सभी अध्ययन रिपोर्टें एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (लिंक-तकनीकी दस्तावेज के अंतर्गत www.ndma.gov.in)।

3.9 एनडीएमए द्वारा संचालित कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए सेंडई मॉनिटर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम :

एनडीएमए ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति (यूएनआईएसडीआर), वैश्विक शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (जीईटीआई), कोरिया गणराज्य के सहयोग से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18 से 20 दिसंबर, 2017 के दौरान एक प्रशिक्षकों का

प्रशिक्षण मॉडयूल का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का फोकस सेंडई मॉनिटर का प्रदर्शन करने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्य योजना तैयार करने में इस मॉनिटर का उपयोग करने के लिए विभिन्न लाइन मंत्रालयों पर था। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रशिक्षकों को वैश्विक मानकीकृत उपकरणों का उपयोग, मौजूदा रणनीतियों तथा योजनाओं में कमियों का आंकलन तथा डीआरआर के लिए कार्यों को विकसित करने हेतु प्रशिक्षकों को लैस/अच्छी तरह तैयारी करना था। प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद इन प्रशिक्षकों की सेवाओं का, आगे संबंधित मंत्रालय/संगठन के स्टाफ को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मंत्रालयों/विभागों और वे मंत्रालय जिन्हें विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है, के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) आपदा समुत्थानशील आधारढांचा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

एनडीएमए ने आपदा समुत्थानशील आधारढांचा पर एक दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का, विश्व स्तर पर समुत्थानशील आधारढांचा पर संवाद को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के

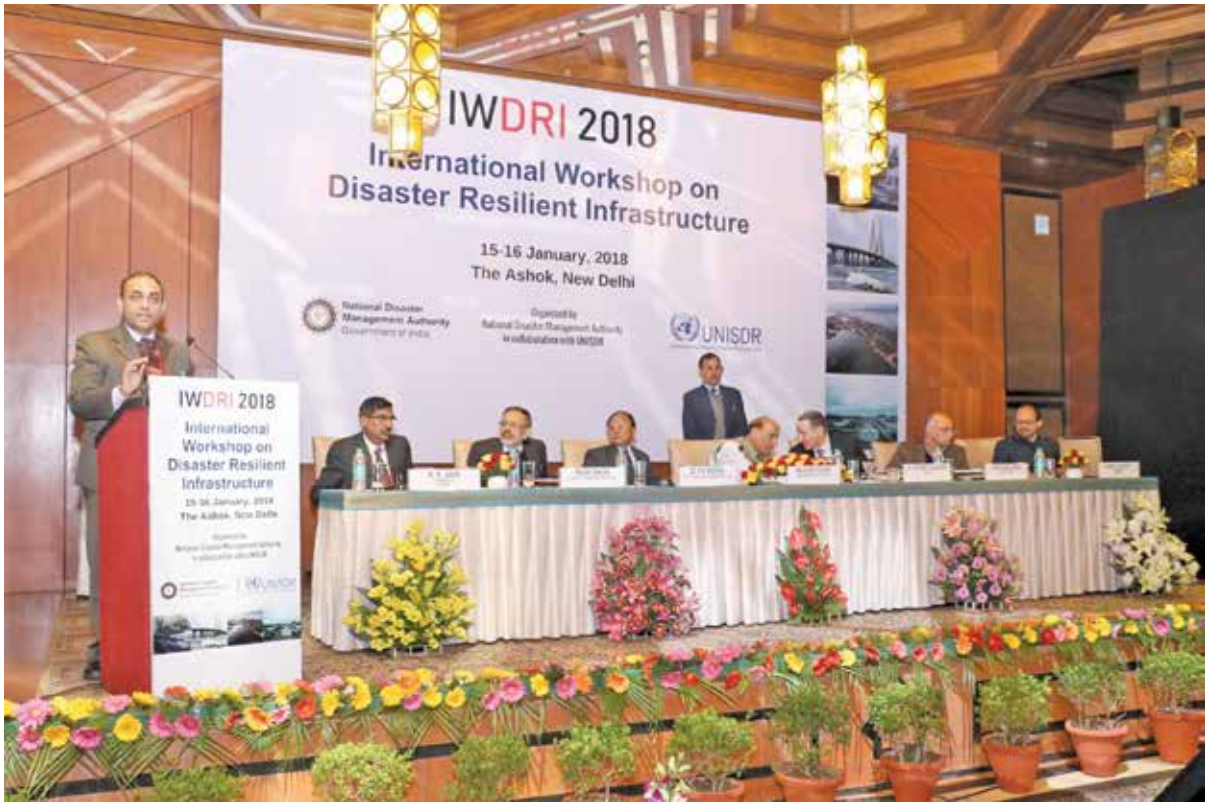

सहयोग से 15–16 जनवरी, 2018 के दौरान अशोक होटल में आयोजन किया। 23 देशों से विशेषज्ञों जिनमें आपदा जोखिम तथा विकास संदर्भ विशेषज्ञ, बहु–पक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारक शामिल हैं, ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 15 जनवरी, 2018 को किया गया। पहले दिन, ऊर्जा, परिवहन तथा दूरसंचार तथा जोखिम आंकलन जैसे प्रमुख आधार–ढांचा क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन से संबंधित विषयों पर तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। दूसरा दिन आपदा समुत्थानशील आधार–ढांचा में देश विशिष्ट विषयों पर विभिन्न देशों के पैनल की परिचर्चा के आयोजन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए वे आधार–ढांचा हेतु मानकों और समुत्थानशील आधार–ढांचा और निर्माण में जोखिम अंतरण प्रक्रम समेत वित्तपोषण की भूमिका पर केंद्रित थे। किसी आपदा के बाद प्रमुख ढांचागत क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और प्रणाली के विषयों पर भी परिचर्चाओं का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में ढांचागत क्षेत्र में बेहतरीन प्रचलनों के साथ–साथ मौजूदा प्रचलनों में प्रमुख मुद्दों और उनके निवारण के तरीकों की पहचान की गई। आपदा समुत्थानशील ढांचागत क्षेत्र में सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की भी पहचान की गई। डॉ० राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने कार्यशाला को संबोधित किया और एनडीएमए तथा यूएनआईएसडीआर, दोनों को नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया ताकि समाज में तेजी से तथा व्यापक रूप में आपदा के प्रति जागरुकता फैलने के काम में मदद मिले। उन्होंने आपदा प्रबंधन में उनकी प्रगति के संबंध में राज्यों का दर्जा

निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। श्री किरेन रिजीजू, गृह राज्य मंत्री ने समापन संबोधन प्रस्तुत किया।

(iii) लू जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

इस साल लू की घातकता से कारगर ढंग से निपटने के लिए, एनडीएमए ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से 21-22 फरवरी, 2018 को लू-जोखिम में कमी लाने पर विजयवाड़ा में एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

देश में लू की तीव्रता को देखते हुए, एनडीएमए ने 2016 में 'कार्ययोजना की तैयारी हेतु दिशानिर्देश-लू की रोकथाम तथा प्रबंधन' को तैयार तथा परिचालित किया। हितधारकों से प्राप्त इसके प्रेक्षण तथा फीडबैक के आधार पर, एनडीएमए ने 2017 में इन दिशानिर्देशों में संशोधन किया। इससे 2016 तथा 2017 में लू के कारण होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आयी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य लू प्रवण राज्यों को दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं को क्रियान्वित करने की जरूरत के प्रति सुग्राही बनाना था। अधिकांश असुरक्षित राज्यों में से कुछ राज्यों जिन्होंने लू के असर के प्रशमन में सराहनीय काम किया है, ने अपने अनुभव और बेहतरीन प्रथाओं को साझा किया ताकि अन्यों को अपनी लू संबंधित कार्य योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सके।

कार्यशाला ने उन आबादियों जो भयंकर लू प्रवण स्थानों में रहने के कारण लू से बीमार होने के खतरे के दायरे में रहती हैं, के समुदाय के बीच क्षमता निर्माण तथा जागरुकता सृजन का भी एक अवसर प्रदान किया। कार्यशाला में नीतिगत निर्णय में मदद के लिए लू पर एक डेटाबेस बनाने के काम पर भी चर्चा हुई। तीन तकनीकी सत्रों-लू कार्य योजना तथा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, लू का पूर्वानुमान तथा उससे निपटने की तैयारी, वर्ष 2018 में लू के प्रशमन उपायों के लिए अनुभग साझा करना तथा सीखे गए सबक और उभरते मुद्दे-का कार्यशाला के पहले दिन आयोजन किया गया। दो और तकनीकी सत्रों-क्षमता निर्माण एवं लू के प्रति कारगर मोचन बढ़ाना तथा मॉनिटरिंग, लू कार्य योजना की समीक्षा तथा अपडेट करने का काम भी कार्यशाला के समापन दिवस पर आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ लू संबंधित विशेषज्ञ के साथ-साथ अन्य हितधारकों जैसे पूर्व चेतावनी तथा पूर्वानुमान एजेंसियों, राज्य सरकारों अनुसंधान संस्थाओं, ने भाग लिया।

3.10 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) का प्रतिपादन :

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) तैयार करने की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

(क.) 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एस.डी.एम.पी. तैयार कर ली है और एन.डी.एम.ए. के साथ उसे साझा किया है।

(ख.) तेलंगाना राज्य अपनी एस.डी.एम.पी. तैयार करने हेतु प्रक्रियारत है।

3.11 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना :

(क.) आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित

संरचना–भारत सरकार में विभाग/मंत्रालय' का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना लिंक–नीति और योजना–केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख.) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ग.) एन.डी.एम.ए. ने निम्नलिखित की डी.एम.पी. अनुमोदित की :-

(i) पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, (ii) न्याय विभाग, (iii) कृषि, सहकारिता तथा कृषक विभाग और (iv) कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय।

(घ.) एनडीएमए ने नीचे दिए गए मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की जांच की (i) रेलवे मंत्रालय, (ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (iii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, (iv) विद्युत विभाग, (v) इस्पात मंत्रालय, (vi) खान मंत्रालय, (vii) भारी उद्योग मंत्रालय, (viii) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (ix) नागर विमानन मंत्रालय, (x) परमाणु ऊर्जा विभाग तथा (xi) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, (xii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, (xiii) आयुष मंत्रालय, (xiv) दूरसंचार विभाग, (xv) अंतरिक्ष विभाग और (xvi) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और इनकी योजनाओं के संशोधन के लिए तदनुसार टिप्पणियां प्रस्तुत की।

3.12 कार्यान्वयन के अंतर्गत स्कीम :

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को और मजबूत बनाने के लिए स्कीम।

एनडीएमए ने 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को और मजबूत करने' की स्कीम, सभी एसडीएमए तथा चुनिंदा डीडीएमए की कारगरता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से तथा आपदा स्थिति के खतरे या आपदाओं से निपटने के लिए रोकथाम, प्रशमन, तैयारी तथा क्षमता निर्माण के उपायों को करने के लिए प्रतिबद्ध आपदा प्रबंधन व्यावसायिकों को उपलब्ध कराके उनको कार्यात्मक रूप से सक्रिय करके, 42.5091 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित की।

2. इस स्कीम को 01.06.2015 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान 20 महीनों के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जाने के लिए मंजूर किया गया।

3. इस स्कीम ने निम्न प्रकार से सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एस.डी.एम.ए. तथा चुनिंदा 256 डी.डी.एम.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान की :

क. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.)

(i) आपदा प्रबंधन के लिए 50,000/- रुपए प्रति माह की दर से दो–तिहाई मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिकों (पेशेवरों) की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) 4.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्र तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

ख. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.)

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए

डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 40,000/- रुपए प्रति माह की दर से एक मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिक की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

4. 29 राज्यों में से 28 ने तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से 6 ने स्कीम के अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु राज्य सरकार तथा दिल्ली राज्य की सरकार ने स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2015-16	29 (25 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	1044.40 लाख रुपए
2016-17	10 (6 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	475.66321 लाख रुपए
2017-18	17 (15 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र)	714.51474 लाख रुपए
	योग	**2234.57795 लाख रुपए**

6. इस स्कीम के अंतर्गत एनडीएमए में एक स्कीम क्रियान्वयन इकाई (एसआईयू) का भी प्रावधान था जो एक प्रोजेक्ट एसोसिएट, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा एक चपरासी की किराए पर सेवा लेने/भर्ती करने का प्रावधान करता था। 31.03.2018 तक एसआईयू के लिए व्यय की गई राशि 12.3825 लाख रुपए है। स्कीम के लिए जारी की गई कुल राशि 2246. 96045 लाख रुपए है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2234.57795 लाख रुपए तथा एसआईयू के लिए 12.3825 लाख रुपए है।)

अध्याय–4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I)

4.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I) जनवरी, 2011 से प्रारंभ 2,541.60 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण I कार्यान्वयन के अंतर्गत है जो एक केंद्रीय सहायता–प्राप्त स्कीम है और इसका निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. में बनाई गई परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) इसकी नोडल अभिकरण है जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य भागीदार हैं। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में चक्रवात पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणालियों (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) को अपग्रेड करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन आधार ढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र, आवासों तक संपर्क सड़कों/पुलों, लवणीय तटबंधों (सेलाइन इम्बैकमेंट्स) को बनाना ताकि तटीय समुदायों के जोखिम और असुरक्षितताओं में कमी लाई जा सके और बहु–खतरा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करना शामिल हैं। इस परियोजना की अवधि को दिनांक 31.12.2018 तक पूरा किया जाने के लिए बढ़ा दिया गया है।

परियोजना संघटक

4.2 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

घटक	परियोजना विवरण	परिव्यय (करोड़ रुपए)
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	132.00
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.); – सुरक्षित निकास हेतु सड़कें; – पुल; तथा – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स);	2223.67
ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	22.41
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	138.64
	अनाबंटित आकस्मिकता निधियां	24.88
	योग	**2541.60**

कार्यान्वयन प्रास्थिति

घटक-क : पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)

4.3 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम मैसर्स टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल.) है जो आपदा पूर्व/दौरान/पश्चात् अवधिमें सर्वत्र संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) को विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव करने वाला ज्ञान भागीदार है। आंध्र प्रदेश ने 82 करोड़ रुपए की एक लागत पर मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो को ई.डब्ल्यू.डी.एस. के लिए ठेका दिया है और अगस्त, 2018 तक इसका संस्थापन कार्य (इंस्टॉलेशन) पूरा किए जाने की उम्मीद है। ओडिशा ने भी 66 करोड़ रुपए की एक लागत पर मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो को ठेका दिया है और अप्रैल/मई, 2018 तक इसका संस्थापन कार्य पूरा किए जाने की उम्मीद है।

घटक-ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना (सीआरएमआई)

4.4 आंध्र प्रदेश में भौतिक उपलब्धियां :

क्रम संख्या	घटक	इकाई	कुल निर्माण कार्य किया जाना है	अब तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं	जिनका कार्य चल रहा है
1.	बहु उद्देशीय चक्रवात आश्रय केंद्र	संख्या	222	208	11 (तीन निर्माण कार्य सूची से हटा दिए गए)
2.	सड़कें	संख्या/ किलोमीटर	474/704.18	468/ 702.58	1/1.60 (05 निर्माण कार्य सूची से हटा दिए गए)
3.	पुल	संख्या	35	25	10
4.	लवणीय तटबंधों	संख्या/ किलोमीटर	2/29.90	1/15.60	1/14.30

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I (आंध्र प्रदेश) के अंतर्गत बनाए गए उपयोगी भवनों के चित्र

नेल्लौर जिला में एमपीसीएस

पुल-पूर्वी गोदावरी जिला

4.5 ओडिशा में भौतिक उपलब्धियां

क्रम संख्या	घटक	इकाई	कुल निर्माण कार्य किया जाना है	अब तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं	जिनका कार्य चल रहा है
1.	एमपीसीएस	संख्या	316	298	18
2.	संपर्क सड़कें	संख्या/कि.मी.	243/ 338.50	242/ 386.50	1/2
3.	लवणीय तटबंध	संख्या/कि.मी.	12/58.22	12/58.22	0

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I (ओडिशा) के अंतर्गत बनाई गई उपयोगी भवनों के चित्र

पुरी जिला में बाजराकोटे एमपीसीएस

गंजम जिला में सीमेंट की कंक्रीट सड़क को बिछाते हुए

परियोजना के चरण I के अंतर्गत, 506 चक्रवात आश्रय केंद्रों, 1083 कि.मी. की सड़कों, 25 पुलों तथा 73.82 कि.मी. के लवणीय तटबंधों का काम पूरा कर लिया गया है।

एनसीआरएमपी-I के अंतर्गत कुल 2383.63 करोड़ रुपए (भारत सरकार और राज्य का हिस्सा) की कुल राशि जारी की गई है। जबकि मार्च, 2018 तक 2057.20 करोड़ रुपए (भारत सरकार और राज्य, दोनों का हिस्सा) का कुल व्यय किया जा चुका है।

घटक-ग : तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण

4.6 इस संघटक में अध्ययन कार्य शामिल थे जो पूरे हो चुके हैं :-

(i) समुद्र तटीय जोखिम, खतरा तथा असुरक्षितता आंकलन।

(ii) दीर्घावधिक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना।

(iii) आपदा पश्चात् आवश्यकता आंकलन।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II:

4.7 भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में मार्च, 2020 तक पाँच वर्षों के लिए एन.सी.आर.एम.पी. का चरण-II भी अनुमोदित कर दिया है। एन.सी.आर.एम.पी. के चरण-II का परिव्यय 2361.25 करोड़ रुपए है जिसमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल को कवर किया गया है। विश्व बैंक से सहायता की राशि 1881.10 करोड़ रुपए है। शेष 480.15 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अंडरग्राउन्ड केबल बिछाने के काम के उप-घटक को एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत शामिल किया गया है। (घटक-ख के अंतर्गत)

कार्यान्वयन प्रास्थिति : घटक-क (ईडब्ल्यूडीएस)

4.8 गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की सरकारों ने टीसीआईएल को ईडब्ल्यूडीएस के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान भागीदार/परामर्शदाता तय किया है। केरल के लिए टीसीआईएल को ईडब्ल्यूडीएस के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान भागीदार/परामर्शदाता को नियुक्त करने का काम पूर्णता के अंतिम चरण (फाइनलाइजेशन) के अंतर्गत है। गुजरात ने उपलब्ध परामर्शदाताओं की सहायता से आरपीएफ तैयार करने का काम आगे बढ़ाया है जो अंतिम चरण के अंतर्गत है। पश्चिम बंगाल में, प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ज्ञान भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

घटक-ख : (सीआरएमआई)

4.9

क्रम सं०	राज्य	संघटक	कुल निर्माण कार्य किया जाना है	अब तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं	जिनका कार्य चल रहा है
1.	गुजरात	चक्रवात आश्रय केंद्र (एमपीसीएस) (सं०)	100	22	32 (बची हुई 46 साइटों के लिए टेंडर जारी किया गया है)
		सड़के (कि.मी.)	157	100	57
2.	पश्चिम बंगाल	एमपीसीएस (सं०)	150	–	146 (59 का काम समाप्ति चरण में है)
3.	गोवा	एमपीसीएस (सं०)	16	–	8
4.	कर्नाटक	एमपीसीएस (सं०)	11	–	9
		सड़कें (कि.मी.)	48	–	43

शेष निर्माण कार्य योजना के विभिन्न चरणों में है नामत: पर्यावरणिक अनापत्ति (क्लीयरेंस) हासिल करना, डिजाइन/डीपीआर तैयार करना, पर्यावरण पर असर का आंकलन/समाज पर असर का आंकलन अध्ययन आदि।

घटक-ग :

4.10 तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण

i. **बहु विपदा जोखिम आंकलन (एमएचआरए) अध्ययन** : निविदाओं (टेंडरों) का मूल्यांकन किया गया। परामर्शदाता नियुक्त करने का अनुबंध फाइनल किए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

ii. **राष्ट्रीय भूकंपीय जोखिम प्रशमन परियोजना (एनएसआरएमपी);** शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को आरएफपी भेजा जा रहा है।

iii. **जल-मौसम विज्ञानी समुत्थानशीलता कार्ययोजना (एचएमआरएपी);** विचारार्थ विषय फाइनल किए जाने के अंतर्गत है।

iv. **लाभ मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन (बीएमई) अध्ययन;** रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है और शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को आरएफपी जारी किया गया है।

परियोजना के चरण-II के अंतर्गत, 22 चक्रवात आश्रय केंद्रों तथा 100 कि.मी. की सड़कों को काम पूरा कर लिया गया है। गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को 844.92 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई है जिसमें से आज तक 598.68 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

प्रशमन प्रभाग, एनडीएमए द्वारा किए गए पहल-कार्य (इनिशिएटिव्स्)

4.17 प्रशमन प्रभाग विविध विषयों पर ख्याति-प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से प्रायोगिक परियोजनाएं तथा अध्ययन का काम कराता है जिनमें बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय तथा नाभिकीय आपदाएं आदि।

एनडीएमए द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम-एलआरएमएस (भूकंप प्रशमन उपायों के लाभ दर्शाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापित अंब्रेला पायलट स्कीम)

4.18 एनडीएमए ने संवेदनशील राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपदा के प्रति तैयारी करने तथा भविष्य में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य भूस्खलन प्रशमन परियोजना चलाने के लिए अपनी क्षमता के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एलआरएमएस) को शुरू किया है।

4.19 इस स्कीम में प्रायोगिक पैमाने पर आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। स्कीम के चार बड़े निष्कर्ष/परिणाम भूस्खलन, प्रशमन, तत्काल मॉनिटरिंग, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हैं। डीपीआर तैयार करने के लिए एनडीएमए द्वारा एक टेम्पलेट तैयार किया गया और उसे सभी संवेदनशील राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत सीलिंग के साथ एनडीएमए टेम्पलेट के आधाार पर, सभी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अपनी डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

4.20 अब तक, सात राज्यों से आठ डीपीआर और सात राज्यों से लागत सहभाजन (शेयरिंग) प्रमाण-पत्र की सहमति प्राप्त हो गई है। उत्तराखंड, मिजोरम, नगालैंड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम और गोवा द्वारा प्रस्तुत भूस्खलन प्रशमन पर डीपीआर की जांच/छानबीन तथा मूल्यांकन के लिए टीईसी की छह बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और संबंधित जांच की गई है। उत्तराखंड को वित्तीय सहायता देने के लिए उसकी डीपीआर की टीईसी द्वारा सिफारिश की गई है और शेष राज्य टीईसी की छानबीन के अनुसार अपनी डीपीआर को संशोधित कर रहे हैं और उनका तकनीकी मूल्यांकन टीईसी द्वारा आगामी बैठकों में किया जाएगा। इस स्कीम का एसएफसी प्रस्ताव गृह मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

भूकंप इंजीनियरिंग पर संसाधन सामग्री का तैयार किया जाना

4.21 सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के विषयों में स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भूकंप इंजीनियरी में संसाधन सामग्री तैयार करने के लिए एनडीएमए ने पहल की है। संसाधन सामग्री तैयार करने का मुख्य उद्देश्य भूकंप इंजीनियरी में बुनियादी अवधारणाओं की किताबों/पुस्तकों की उपलब्धता, प्राप्ति तथा खरीदने की समर्थता को और बेहतर बनाना है ताकि छात्रों द्वारा स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिजाइन तथा निर्माण के कार्यबल (वर्कफोर्स) में शामिल होते समय छात्रों द्वारा निर्मित वातावरण की भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4.22 एनडीएमए ने अपने विशेषज्ञों के माध्यम से किताबों को तैयार करने के लिए बारह विषयों की पहचान की है। इन किताबों को तैयार करने से भूकंप इंजीनियरी के लिए अनिवार्य संसाधन सामग्री की अनुपलब्धता की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। इस बारे में, एनडीएमए ने 11 राष्ट्रीय संसाधन संस्थानों से इन किताबों को तैयार करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव सहित अपनी सम्मति तथा समय-सीमा के बारे में बताने का अनुरोध किया है।

सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.23 एनडीएमए ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के कारगो सेक्शन में विकिरणकीय डर को फैलाने वाली घटनाओं के होने के बाद इनमास के सहयोग से 12 चुनिंदा हवाई अड्डो में हवाई अड्डा आपातकालीन संचालक (एईएच) के लिए एक सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। एईएच की टीम में हवाई अड्डा सुरक्षा कार्मिक अर्थात् सीआरपीएफ, पुलिस के सब-इंस्पेक्टर, डीडीएमए, डीजीसीए, एएआई, अग्निशमन विभाग आदि से कार्मिकों को टीम के सदस्य के रूप में लिया गया है।

4.24 इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 50.88 लाख रुपए की एक अनुमानित लागत के साथ शुरू किया गया है। 50.88 लाख रुपए में, अध्ययन सामग्री तथा प्रशिक्षण किटों के लिए एनडीएमए की देयता 10.08 लाख रुपए होगी। 40.80 लाख रुपए की शेष राशि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। अध्ययन सामग्री को तैयार करके इनमास (डीआरडीओ) के परामर्श से फाइनल कर लिया गया है। एईएच प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सीबीआरएन प्रशिक्षण का पहला और दूसरा बैच क्रमशः एआई कारगो, चेन्नई में 18-23 सितंबर, 2017 तथा कोलकाता में 18-22 दिसंबर, 2017 और मुंबई में 05-10 मार्च, 2018 के दौरान सफलतापूर्वक संचालित किया गया। कुल 100 भागीदारों ने इन दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

भूकंप सुरक्षा तथा तैयारी के लिए मानकीकृत आईईसी सामग्री की समीक्षा और विकास

4.25 एनडीएमए ने भूकंप सुरक्षा तथा तैयारी से जुड़ी जन-जागरूकता तथा जानकारी के लिए मानकीकृत आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री तैयार करने की योजना बनाई है। इस बारे में, राज्यों तथा अन्य हितधारकों को उनके द्वारा तैयार आईईसी सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। कुछ राज्यों से इन प्रपत्रों की प्राप्ति के बाद, एनडीएमए ने मौजूदा आईईसी सामग्री की समीक्षा तथा मानकीकृत आईईसी सामग्री तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। बैठक में किए निर्णय के अनुसार, एनडीएमए द्वारा एक उपलब्ध सामग्रियों से एक मैट्रिक्स तैयार किया गया और इसे विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों तथा फीडबैक के लिए उनके साथ साझा किया गया। टिप्पणियों तथा फीडबैक प्राप्त होने के बाद, मैट्रिक्स को फाइनल किया जाएगा और उसे व्यापक जन-उपयोग के लिए एनडीएमए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

प्रधानमंत्री राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से पश्चिम बंगाल से बहु-उद्देश्य चक्रवात आश्रय केंद्रों का निर्माण

4.26 1385.65 करोड़ रुपए की एक लागत से पश्चिम बंगाल के जिलों, उत्तरी 24 परगना में 20 चक्रवात आश्रय केंद्र में 16 दक्षिणी 24 परगना में 15 तथा पूर्वी मेदिनीपुर में 15 आश्रय केंद्रों के साथ कुल 50 चक्रवात आश्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं। सभी 50 आश्रय केंद्रों का काम पूरा कर लिया गया है। अब

उत्तरी 24 परगना जिले में हरिदासकाटी में चक्रवात आश्रय केंद्र का निर्माण

पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बलिसाई कन्या विद्यालय में चक्रवात आश्रय केंद्र का निर्माण

तक 48 आश्रय केंद्रों को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया है और शेष 02 आश्रय केंद्र सौंपे जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

4.27 3,36,99,200/–रु. की एक अनुमानित लागत पर मिनिकोय द्वीप में बहु–उद्देश्यीय सुरक्षित निकास एवं सामुदायिक केंद्र के निर्माण के काम को 15.05.2017 को प्रधानमंत्री के कार्यालय के अनुमोदन से सहमति दी गई। इसकी सूचना 19.05.2017 को लक्षद्वीप लोक–निर्माण विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) को दी गई। एलपीडब्ल्यूडी ने 07.09.2017 को संबंधित कम्पनी को निर्माण काम सौंप दिया। कार्य प्रगति के अंतर्गत है और 17.07.2018 तक इसको पूरा किए जाने की संभावना है।

मिनिकोय द्वीप में प्रस्तावित आश्रय केंद्र का विहंगम दृश्य (बर्ड्स आई व्यू)

महत्वपूर्ण शहरों और भूकंपीय क्षेत्र iv तथा v के इलाकों में v जिलों में भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) का काम

4.28 एनडीएमए ने महत्वपूर्ण शहरों और भूकंपीय क्षेत्र IV तथा V के इलाकों में 1 जिला में भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) को बनाने के काम पर एक पहल की है और इस काम को 18 महीनों की अवधि में पूरा करने के लिए 45.87 लाख रुपए की एक लागत पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान (आईआईआईटी), हैदराबाद को सौंपा गया है।

4.29 संबंधित शहरों/जिला से प्राप्त अपेक्षित सूचना को आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यकारी एजेंसी आईआईआईटी, हैदराबाद को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आईआईआईटी, हैदराबाद ने चिन्हित 10 शहरों/जिलों का क्षेत्रीय दौरा किया ताकि शहर के अधिकारियों को ब्रीफिंग की जा सके और उन्हें सूचकांक तैयार करने के लिए आंकड़ों के संग्रहण के संदर्भ में, भूकंप और भूकंप आपदा से शहर की सुरक्षा पर जागरुक बनाया जा सके। इस बारे में सूचना एकत्र करने के बाद आईआईआईटी, हैदराबाद ने, पीटीसी के सुझावों को अंतिम रूप देने से पहले, ईडीआरआई की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली (एम.आर.डी.एस.)

4.30 एन.डी.एम.ए. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन पर पुलिस कार्मिकों के सशक्तिकरण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में पुलिस गश्ती वाहनों को गो-नो गो विकिरण जांच यंत्रों, विकिरण मापी उपकरणों तथा सुरक्षा थैलों से लैस करना और पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है। इस परियोजना को नवंबर, 2014 में पाँच सालों की समयावधि के साथ 6.97 करोड़ रुपए की एक अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया।

4.31 दो चरणों में पुलिस और एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में, टी.ओ.टी. कार्यक्रम के आठ बैचों के अंतर्गत, पुलिस और एन.डी.आर.एफ. में से चुने गए भागीदारों/कार्मिकों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो बाद में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे। संचालित किए गए टी.ओ.टी. कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:

(क.) 16-28 मई, 2016 के दौरान 39 भागीदारों के साथ एन.डी.आर.एफ. 5वीं बटालियन, पुणे में संचालित प्रथम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।

(ख.) 14-27 सितंबर, 2016 के दौरान 44 भागीदारों के साथ एन.डी.आर.एफ. दूसरी बटालियन, हरिनघटा, कोलकाता में संचालित द्वितीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।

(ग.) 09-21 जनवरी, 2017 के दौरान एन.डी.आर.एफ. चौथी बटालियन, अराकोणम, तमिलनाडु में संचालित तृतीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।

(घ.) 06-18 फरवरी, 2017 के दौरान एन.डी.आर.एफ. तीसरी बटालियन, मुंडली, ओडिशा में संचालित चतुर्थ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम।

(ड.) 12-24 जून, 2017 के दौरान 42 भागीदारों के साथ एन.डी.आर.एफ. पांचवी बटालियन, पुणे में संचालित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम का पांचवा बैच।

4.32 बी.ए.आर.सी. ने एम.आर.डी.एस. उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद आदेश जारी किया है और इन उपकरणों की डिलीवरी का जून, 2018 के अंत तक होने का अनुमान है। आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के चित्र संलग्न हैं।

चिनाई की गई महत्वपूर्ण बिल्डिंगों तथा आगामी निर्माण के भूकंप समुत्थानशीलता को बेहतर बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजना

4.33 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, आईईसी सामग्री का विकास, चुनिंदा चिनाई वाली बिल्डिंगों का सुरक्षा ऑडिट, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण तथा नमूना चिनाई वाली बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग के माधयम से भूकंप समुत्थानशीलता को और बेहतर बनाना है। महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग के कारण उत्पन्न प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी तथा इंजीनियरों, आर्किटेक्टों तथा राज-मिस्त्रियों के क्षमता निर्माण से देज़ में बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग हेतु सामुदायिक स्तर तक जागरूकता फैलने का अनुमान है।

4.34 इस बारे में, एनडीएमए ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने के लिए अपनी सहमति बताने हेतु पत्र भेजे हैं।

ज्ञान भागीदारी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पारम्परिक भूकंप समुत्थानशील निर्माण प्रथाओं का सारांश: पारम्परिक निर्माण प्रथाओं का संवर्धन

4.35 एनडीएमए ने राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों को आमंत्रित करके सारांश तैयार करने की पहल की है। यह सारांश किफायती पारम्परिक प्रथाओं को ध्यान में रखकर पारम्परिक निर्माण प्रथाओं के दौरान प्रयुक्त तकनीकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए तैयार किया जाएगा। यह सारांश भूकंप इंजीनियरी पाठ्यक्रम बनाने, बिल्डिंग कोड बनाने तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा अतिरिक्त अनुसंधान में उपयोगी होगा। इस बारे में, 22 राष्ट्रीय संस्थानों से ज्ञान भागीदारी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पारम्परिक भूकंप समुत्थानशील निर्माण प्रथाओं को विकसित करने के लिए अपनी सहमति की सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन

4.36 आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रशमन, तैयारी, मोचन, क्षति आंकलन, राहत प्रबंधन तथा संसाधन सृजन की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में, जियो-डेटाबेस सिस्टम और जी.आई.एस. सर्वर की उपलब्धता होना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य इनपुट है। एन.डी.एम.ए. ने एक परियोजना की पहल की है जिसका नाम "एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन" है। इस परियोजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रशमन उपायों के बारे में नीति निर्माताओं द्वारा किए गए

निर्णयों के बारे में सूचना देने के काम में मदद देने के लिए एक मानकीकृत स्थानिक डेटाबेस, डेटा लेयर्स, मानचित्र तथा वेब आधारित जीआईएस समाधानों को तैयार करना है। परियोजना के लिए 3.30 करोड़ रुपए की लागत को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 2.65 करोड़ रुपए आज की तारीख तक खर्च हो चुके हैं। निम्नलिखित काम पूरा किया जा चुका है :

- एनडीएमए की हाउसिंग सर्विस में एक जीआईएस लैब स्थापित की गई और दक्ष जन-शक्ति की भर्ती की गई।
- अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदों को अधिप्राप्त किया गया और जीआईएस सर्वर का काम चालू कर दिया गया।
- एमपी सर्वर तथा जिओ सर्वर के सृजन का काम पूरा कर लिया गया।
- विभिन्न हितधारकों से आंकड़ो (डेटा) की लेयर को जीआईएस प्लैटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है।
- डेटा इंवेन्टरी का सृजन और डेटा का कैलीबरेशन शुरू कर दिया गया है।
- डेटा तक पहुंच के लिए प्रयोक्ता स्तर पर वेब सेवा।
- राज्य सूचना प्रणाली के एकीकरण (असम/उत्तराखंड/हिमाचल प्रदेश, का काम पूरा हो गया है।
- घटना प्रास्थिति डैशबोर्ड और घटना ब्रीफिंग ऐप्लिकेशन बना लिया गया है।

भारत में बिल्डिंगों को भूकंप सुरक्षा आंकलन

4.37 30-31 अगस्त, 2017 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), हैदराबाद द्वारा, भारत में बिल्डिंगों के लिए एक एकसमान तथा मानकीकृत रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) मेथडोलॉजी तैयार करने के लिए भारत में बिल्डिंगों के भूकंप सुरक्षा आंकलन पर हैदराबाद में एक दो-दिवसीय परिचर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आईआईआईटी, हैदराबाद ने भारत में प्रमुख बिल्डिंग किस्मों के लिए आरवीएस मेथडोलॉजी को मानकीकृत करने के लिए आरवीएस पर एक पृथक पुस्तक (प्राइमर) तैयार करके के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भूकंप समुत्थानशील निर्मित वातावरण हेतु सरलीकृत दिशानिर्देशों/नियम पुस्तिका का विकास

4.38 भारतीय मानक ब्यूरो (बाआईएस) के साथ भागीदारी से एनडीएमए बीआईएस कोडों और एनबीसी-2016 के आधार पर सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनमें कुल मिलाकर आम आदमी तथा जनता के हित में भूकंप समुत्थानशील निर्माणों की बुनियादी आवश्यकता को स्पष्ट किया जाएगा। इस बारे में, 09 अगस्त, 2017 एक बैठक आयोजित की गई और सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्यकारी समूह की बनावट और कार्य-क्षेत्र (टीओआर) को तय किया गया। तदनुसार, कार्यकारी समूह का टीओआर के आधार पर गठन कर लिया गया है और सरलीकृत दिशानिर्देशों की विषय-वस्तु पर चर्चा के लिए अब तक दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

नौका सुरक्षा पर दिशानिर्देश

4.39 20.04.2012 को असम के दुबरी जिला में ब्रहमपुत्र नदी में हुई नौका दुर्घटना जिसमें 350 यात्रियों से भरी हुई एक बड़ी नौका (फेरी) नदी में पलट गई जिसमें 103 लोगों की जानें चली गई थी, के बाद "नौका सुरक्षा" पर एक उपयुक्त दिशानिर्देश सूत्रबद्ध करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एक प्रमुख समूह गठित किया गया। सभी हितधारकों के साथ

परामर्श/विचार विमर्श के आधार पर, एक दिशानिर्देश फाइनल किया गया और दिशानिर्देशों को सितंबर, 2017 में जारी कर दिया गया। दिशानिर्देशों की प्रति एनडीएमए पोर्टल पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस.) संचार नेटवर्क :

4.40 देश के 120 स्थानों (गृह मंत्रलय, एनडीएमए, एनडीआरएफ मुख्यालय, 36 राज्यों की राजधानियां/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय तथा 81 संवेदनशील आपदा जिलों) में एन.डी.एम.ए. ने एक सेटलाइट आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस.) संचार नेटवर्क के निर्माण के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना का काम हाथ में लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावित जिलों, संबंधित राज्य राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ मुख्यालय

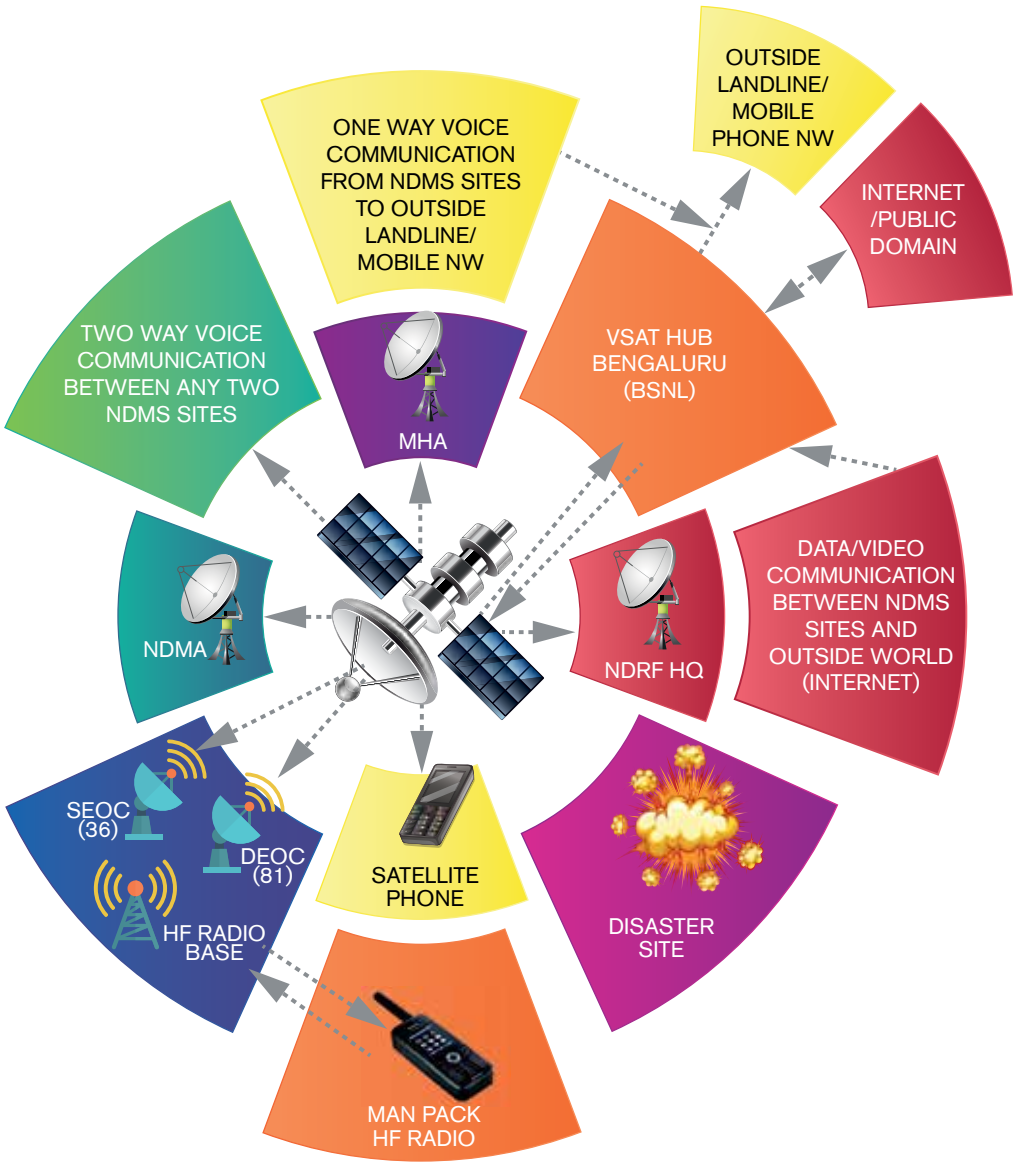

तथा आपदा स्थल के ईओसी के बीच वायस/ डेटाबेस कम्युनिकेशन को सुकर बनाकर अबाधित संचार व्यवस्था प्रदान करना है। इस परियोजना का काम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को, अगस्त, 2018 तक क्रियान्वयन करने के लिए, सौंपा गया है जो पहले से ही फरवरी, 2016 से प्रगति पर है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल ने वी-सेट-108, एटीए-108, पीसी-108, यूपीएस-108 तथा 1.2 स्विचेज-108 को इंस्टाल किया है। शेष साइटों पर उपकरणों के इंस्टालेशन का काम प्रगति पर है। समय-समय पर बीएसएनएल के साथ प्रगति समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन पर नियमित प्रगति को एनडीएमए द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। 120 स्थानों पर एनडीएमएस पायलट परियोजना के अंतर्गत वी-सेट संचार का योजना विषयक आरेख (स्कीमेटिक डॉयग्राम)।

4.41 एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना प्रशिक्षण: एनडीएमएस के उपकरणों के रखरखाव पर प्रशिक्षण का संचालन आपदा/आपातस्थिति के साथ-साथ शांति काल के दौरान एनडीएमएस नेटवर्क के उचित रखरखाव तथा उपयोग हेतु प्रत्येक ईओसी से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए एनडीएमए प्रायोगिक परियोजना का एक हिस्सा है। तदनुसार, 28-29 अगस्त, 2017 को पहली प्रक्षिशण कार्यशाला का संचालन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 25 कार्मिकों ने भाग लिया। दूसरी प्रशिक्षण कार्यशाला का बाद में 08 और 09 मार्च, 2018 को आयोजन किया गया जिसमें गृह मंत्रालय/ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/एनडीआरएफ/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से 30 कार्मिकों ने भाग लिया।

4.42 एचएएम (हैम) रेडियो प्रणालियां: एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 21 फरवरी, 2018 से एचएएम (हैम) रेडियो प्रणालियों पर एक दस-दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। एनडीएमए, एनडीआरएफ तथा डीडीएमए, दिल्ली से 15 भागीदारों ने कार्यशाला में भाग लिया।

4.43 आपातकालीन मोचन चल वाहन (ईआरएमवी): एनडीएमए द्वारा 05 सितंबर, 2017 को एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में आपातकालीन मोचन चल वाहन (ईआरएमवी) पर एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों से कार्यशाला में 36 कार्मिकों ने भाग लिया।

अध्याय-5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधता और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य-निष्पादन के रिकॉर्ड वाले ज्ञान-आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

आपदा मित्र - सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम

5.3 एन.डी.एम.ए. ने जून, 2016 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया जिसका फोकस भारत के 25 राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, के 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों (प्रति जिला 200 स्वयंसेवक) में आपदा मोचन के कार्य में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर है। स्कीम के क्रियान्वयन की अवधि 24 मास है। इस स्कीम का लक्ष्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को वे कौशल प्रदान करना है जिनकी किसी आपदा के बाद समुदाय की तुरंत जरूरतों में कार्रवाई के लिए आवश्कता होगी ताकि वे आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, आकस्मिक बाढ़ तथा शहरी बाढ़ के दौरान बुनियादी

राहत तथा बचाव कार्यों को करने में सक्षम बन सके। इस स्कीम के अंतर्गत, 25 परियोजना राज्यों से विधिवत् हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन प्राप्त हो गए हैं और सभी परियोजना राज्यों को फरवरी-मई, 2017 की अवधि के दौरान पहली किस्त के लिए फंड भी जारी कर दिए गए हैं। उक्त स्कीम के अंतर्गत, सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए सूत्रबद्ध प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु मानदंडों को भी जून, 2017 के महीने में सभी परियोजना राज्यों को परिचालित कर दिया गया है। अब तक, 23 परियोजना राज्यों ने सामुदायिक स्वयंसेवकों का चयन किया है और 20 परियोजना राज्यों ने प्रशिक्षण संस्थानों को अपने पैनल में ले लिया है जो सामुदायिक स्वयंसेवकों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश को फंडों की दूसरी किस्त को जारी कर दिया गया है। अब इस परियोजना को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत के 10 बहु-विपदाग्रस्त जिलों में आपदा जोखिम में सतत कमी

5.4 परियोजना का उद्देश्य 10 सर्वाधिक बहु-विपदाग्रस्त असुरक्षित जिलों में समुदाय और स्थानीय स्व-सरकार की तैयारी तथा मोचन को मजबूत करना है पाँच चिह्नित राज्यों अर्थात उत्तराखंड, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से प्रत्येक में 2 जिले। 5 परियोजना राज्यों को सितंबर, 2016-जनवरी, 2017 के बीच में स्थानीय स्तर पर स्कीम का क्रियान्वयन शुरू करने के लिए 39,63,200/-रु (परियोजना की कुल लागत का 40%) के फंडों की पहली किस्त जारी कर दी गई है। उत्तराखंड, राज्य ने सीबीडीएम पर राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्य पूरा कर लिया है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) और जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) को सीबीडीएम के पहलुओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया और जिला स्तर पर विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य कार्रवाई योजना तैयार की है। विकास स्कीमों में डीआरआर को मुख्य स्थान देने के लिए कार्यशाला के साथ-साथ सीबीडीएम पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राज्यों ने परियोजना जिलों में विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ समुदाय स्तर पर जागरुकता तथा सुग्राहीकरण अभियान भी प्रारंभ किए हैं। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य को जनवरी-मार्च, 2018 के दौरान 29.72400/-रु. (परियोजना की कुल लागत का 30%) की दूसरी किस्त जारी कर दी है। अब इस परियोजना को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आई.ए.एस. अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण

5.5 एनडीएमए ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र के सहयोग से, आई.ए.एस. तथा अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारियों का तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2017-18 से 2019-20 के दौरान 189.36 लाख रुपए की लागत पर रिफ्रेशर तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में नियमित अपडेटों के साथ बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्सों की शिक्षा प्रदान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र में उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए एक परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना के लिए, आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और एनडीएमए के बीच 12 फरवरी, 2018 को परियोजना की सपूर्ण अवधि के दौरान 2850 अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 29,23,901/-रुपए की पहली किश्त सीडीएम, एलबीएसएनएए को 18 फरवरी, 2018 को जारी कर दी गई।

एन.डी.एम.ए. द्वारा सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों पर प्रदान किया प्रशिक्षण

5.6 संसद भवन प्रशिक्षण इकाई के अनुरोध पर, 'सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों से निपटने की तैयारी' पर एन.डी.एम.ए. भवन में 22.05.2017 से 26.05.2017 और 23.10.2017 से 27.10.2017 तक संसद भवन परिसर सुरक्षा स्टाफ के लिए सुग्राहीकरण कोर्सों का संचालन किया गया।

"राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) के अंतर्गत बेहतरीन प्रथाओं एवं सीखे गए सबकों के अनुभवों को साझा करना" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5.7 एनडीएमए भवन नई दिल्ली में 7 अप्रैल, 2017 को "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) के अंतर्गत बेहतरीन प्रथाओं एवं सीखे गए सबकों के अनुभवों को साझा करना" विषय पर एनडीएमए द्वारा एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्देश्य, देश में भविष्य में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम की किसी भी अप-स्केलिंग (स्तर और बेहतर बनाने) की योजना बनाने के लिए परियोजना राज्यों से प्राप्त बेहतरीन प्रथाओं, चुनौतियों तथा सीखे गए सबकों के अनुभवों की जानकारी इकट्ठा करने और परियोजना के क्रियान्वयन के अपडेट की प्रास्थिति प्राप्त करना था। कार्यशाला की कार्यवाहियों का श्री आर.के. जैन, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता के अंतर्गत संचालन किया गया जिसमें 18 परियोजना राज्यों से 32 अधिकारियों ने भाग लिया। हर भागीदार राज्य ने योजना का क्रियान्यवयन करते समय एनएसएसपी में उनके द्वारा किए गए कार्य, बेहतरीन प्रथाओं तथा सीखे गए अनुभवों पर विशाल प्रस्तुतीकरण का प्रदर्शन किया और कुछ राज्यों ने राज्य के अन्य जिलों तक पहुंचने के लिए परियोजना का स्कूल बढ़ाने के लिए किए गए अपने कार्य पर भी प्रकाश डाला। परियोजना राज्य ने उल्लेख किया कि उक्त परियोजना से विभिन्न स्कूल हितधारकों के साथ-साथ समुदाय स्तर पर लोगों के बीच स्कूल सुरक्षा तथा आपदा के प्रति तैयारी पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैली तथा क्षमता का विकास हुआ। अधिकांश परियोजना राज्यों ने सुझाव दिया है कि स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बचे हुए स्कूलों तक पहुंचने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परियोजना का स्केल बढ़ाया जाना चाहिए। परियोजना से मिली एक महत्वपूर्ण सीख यह थी कि स्कूलों में जागरूकता अभियान तथा तैयारी की कवायदों ने बच्चों के बीच जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो बाद में अपने समुदायों में जागरूकता का प्रसार करके सुरक्षा के अग्रदूत (एम्बेस्डर) बन सकते हैं।

स्कूल सुरक्षा पर फोकस के साथ एनडीएमए के स्थापना दिवस का मनाया जाना

5.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 28 सितंबर, 2017 को अपने 13वें स्थापना दिवस को मनाया। इस साल के स्थापना दिवस की थीम 'स्कूल सुरक्षा' थी। एनडीएमए ने 2016 में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधान दिशानिर्देशों को सूत्रबद्ध किया जिसमें स्कूल सुरक्षा तथा आपदा के प्रति तैयारी के संबंध में योजनाएं तैयार करने, क्षमता विकास करने, पाठ्यक्रम में जोखिम न्यूनीकरण के समावेशन और सभी स्तरों पर तालमेल तथा समन्वय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त दिशानिर्देशों के समयबद्ध कार्यान्वयन का निर्देश दिया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजन ने उक्त दिशानिर्देशों के राष्ट्रीय प्रसार के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है। हितधारकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें में शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन मशीनरी-जिला मजिस्ट्रेट, डीईओ, एमएचआरडी, भारत सरकार के अन्य चुनिंदा मंत्रलय/विभाग, सरकारी/निजी स्कूल, नवोदय

विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीबीएसई से जुड़े स्कूल, बाल केंद्रित मुद्दों से जुड़े राष्ट्रीय संस्थाओं, अकादमिक तथा तकनीकी संगठन तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.9

- लेफ्टि. जरनल एन.सी. मरवाह, सदस्य, एनडीएमए ने ज्यूरिख में 5-7 अप्रैल, 2017 को वैश्विक आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली सुविधा (जीएफडीआरआर) हेतु बैठक के परामर्शदाता समूह की बैठक में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 5-7 अप्रैल, 2017 को उलानबातार, मंगोलिया में आईएसडीआर एशिया पार्टनरशिप (आईएपी) की बैठक में भाग लिया।
- डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने पुनर्निर्माण कार्य हेतु धरातल पर संसाधनों की तैनाती तथा एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय पुन: निर्माण प्राधिकरण की मदद करने के लिए 15-21 अप्रैल, 2017 के दौरान काठमांडू, नेपाल का दौरा किया।
- श्री आर.के. जैन, सदस्य, एनडीएमए ने सुवा, फिजी में 25-26 मई, 2017 को "सतत् विकास के माध्यम से एफआईपीआईसी अजेंडा को आगे बढ़ाने" के विषय पर भारत-प्रशांत द्वीप सतत् विकास सम्मेलन में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 22-26 मई, 2017 को कानकुन में वैश्विक आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली मंच (जीपीडीआरआर) के 5वें सत्र में भाग लिया।
- डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 22-26 मई, 2017 को कानकुन में वैश्विक आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली मंच (जीपीडीआरआर) के 5वें सत्र में भाग लिया।
- डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने ब्रुसेल्स में 6-8 जून, 2017 तक तीसरे विश्व पुनर्निर्माण सम्मेलन में भाग लिया।
- श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 7-8 जून, 2017 तक बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए 2017 क्षेत्रीय मानवीय भागीदारी मंच (आरएचएपी) में भाग लिया।
- श्री पुष्कर सहाय, संयुक्त सलाहकार (प्रशमन), एनडीएमए ने 9-21 जुई, 2017 तक होनोलुलु, संयुक्त राज्य अमरीका में आपदा प्रबंधन में उत्खष्टता केंद्र तथा बड़ी आबादी में आगामी स्वास्थ्य आपातस्थितियों में मानवीय सहायता (एचईएलपी-हेल्प) पर सम्मेलन में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 23-25 अगस्त, 2017 को क्रिगिज गणराज्य के चोलपोन-आटा शहर में आयोजित ऊर्जा स्थिति के रोकथाम तथा समाप्ति का काम देखने वाले शंघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों के सरकारी प्राधिकरणों के अध्यक्षों की नौवीं बैठक में भाग लिया।
- श्री सुदीप सिंह जैन, उप परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी ने बीजिंग, चीन में 18-22 सितंबर, 2017 के दौरान आपदा आपातकालीन प्रबंधन में हार्ट ऑफ एशिया-इस्तातंबुल प्रोसेस वर्कशॉप में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने वाशिंगटन, डी.सी. में 11-15 अक्तूबर, 2017 के दौरान विश्व बैंक समूह वार्षिक बैठक के रेजीलियंस डॉयलॉग सेशन में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए तथा डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने बैंकॉक, थाइलैंड में 14-15 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान आईएसडीआर एशिया पार्टनरशिप (आईएपी) मंच की बैठक में भाग लिया।

- श्री बी. प्रधान, अपर सचिव, एनडीएमए ने 30–31 जनवरी, 2018 के दौरान तेहरान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुत्थानशीलता हेतु सूचना प्रबंधन पर उच्च स्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- श्री बी. प्रधान, अपर सचिव, एनडीएमए ने 4–9 फरवरी, 2018 को जे.के.एफ. स्कूल, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में 21वीं शताब्दी के अराजकता के प्रति संघर्ष तथा साहस हेतु नेतृत्व पर लघु–अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- डॉ० पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए ने होनोलुलु, संयुक्त राज्य अमरीका में 8 फरवरी–14 मार्च, 2018 तक डीकेआई एपीसीएसएस में पाठ्यक्रम–समग्र संकट प्रबंधन (सीसीएम) में भाग लिया।
- ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार, एनडीएमए ने बैंकॉक, थाइलैंड में 8–9 मार्च, 2018 को यूएनआईएसडीआर सेंडाई मॉनिटरिंग वर्कशॉप में भाग लिया।
- श्री महेन्द्र मीणा, परामर्शदाता (भूकेप और सुनामी), एनडीएमए ने 12–16 मार्च, 2018 को टोक्यो जापान में भूकंपीय जोखिम तथा समुत्थानशीलता कार्यक्रम पर टेक्निकल डीप डाइव कार्यक्रम में भाग लिया।

अध्याय-6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरूकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम अभ्यासों से राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधान की अपनी कारगरता की समीक्षा करने और जन जागरूकता सृजित करने के साथ मोचन क्षमताओं का मूल्यांकन को सुकर बनाने में मदद मिली है। एन.डी.एम.ए. इन अभ्यासों को राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित करता है। इसके अलावा एनडीएमए 2016-17 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्तर/जिला स्तर पर कृत्रिम अभ्यास के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम चला रहा है जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति कृत्रिम अभ्यास 1 लाख रुपए का एक अनुदान दिया जाता है।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपातकालीन मोचन योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह-क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। ये अभ्यास अति संवेदनशील वर्गों को भी आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

हरियाणा में भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास

उत्तराखंड में जंगल की आग पर कृत्रिम अभ्यास

6.3 ये अभ्यास चरण-दर-चरण (स्टेप-बाई-स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए एक विषय-अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

6.4 अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाइयाँ जानने के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास किया जाता है। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं, वे सभी सहभागियों के साथ साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है।

उत्तराखंड में जंगल की आग पर कृत्रिम अभ्यास

जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी (डिब्रीफिंग) दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में हितधारकों को संसूचित किया जाता है ताकि वे खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां करें।

6.6 कृत्रिम अभ्यासों ने जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति निर्मित करने में सहायता की है। समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ छात्र भी इन अधिकांश अभ्यासों में बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला प्रशासन, कार्पोरेट क्षेत्र तथा अन्य प्रथम अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य के आधार पर किया जाता है। घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) का एक मोचन प्रक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है- ई.ओ.सी. को सक्रिय किया जाता है, स्टेजिंग एरिया तथा घटना कमान चौकियों को स्थापित किया जाता है वायरलेस और सैटलाइट फोनों का संचार लिंक टूटने की स्थिति में उपयोग किया जाता है और जरूरत के अनुसार मोचन हेतु मिश्रित कृतिक बल (टास्क फोर्स) बनाए जाते हैं। ये अभ्यास मोचन तथा पुनर्बहाली चरण के दौरान तेजी से कार्रवाई करने, बेहतर तथा एक संगठित तरीके से काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

6.5 अभ्यास को मॉनिटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया

अमरनाथ यात्रा पर कृत्रिम अभ्यास

मोचकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सशस्त्र बलों, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ., स्थानीय पुलिस अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा स्टाफ, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स ने मिश्रित कृतिक बलों के भाग के रूप में सक्रियता से भाग लिया। इन अधिकांश अभ्यासों में राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इन अभ्यासों को स्थानीय प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी व्यापक कवरेज दी गई जिससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच जागरूकता फैली गई।

दिल्ली में भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास

गुजरात में सीबीआरएन आपातस्थितियों के प्रति तैयारी

6.7 अब तक एनडीएमए द्वारा देश के कोने-कोने में 676 कृत्रिम अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। एनडीएमए द्वारा सभी हितधारकों के लिए, राज्य/जिला की आपदा मोचन योजनाओं की पर्याप्तता तथा कारगरता के प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक उद्देश्य के साथ, निम्नलिखित बड़े कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया।

क्रम सं०	दिनांक	आपदा की किस्म	स्थान एवं राज्य
1.	18 से 20 अप्रैल, 2017	जंगल की आग पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	उत्तराखंड
2.	21 से 24 जून, 2017	अमरनाथ यात्रा-17 पर कृत्रिम अभ्यास	जम्मू और कश्मीर में गंदरबल जिलों में बालटल, और अनंतनाग जिलों में पहलगांव
3.	28 से 30 जून, 2017	भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	दिल्ली एनसीटी
4.	12 से 13 अक्तूबर, 2017	भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	उत्तराखंड
5.	19 से 21 दिसंबर, 2017	भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	हरियाणा
6.	15 से 19 जनवरी, 2018	सीबीआरएन आपातस्थिति के प्रति तैयारी	जामनगर, गुजरात
7.	01 से 08 फरवरी, 2018	भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	हिमाचल प्रदेश
8.	06 से 16 मार्च, 2018	भूकंप पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास	गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

सुनामी पर बहु-राज्यीय वृहत् कृत्रिम अभ्यास

6.8 गृह मंत्रालय ने एनडीएमए तथा आईएनसीओआईएस के माध्यम से 24.11.2017 को देश की समूची पूरी समुद्र तटीय लाइन को कवर करते हुए सुनामी पर अपने किस्म के पहले बहु-राज्यीय कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया। इस कृत्रिम अभ्यास का चार राज्यों-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और एक संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी के 35 तटीय जिलों में एक साथ संचालन किया गया। कृत्रिम अभ्यास का उद्देश्य उच्च क्षमता वाली सुनामी के असर के प्रशमन हेतु पूर्व चेतावनी तथा मोचन प्रक्रम का आंकलन करना तथा उसे बेहतर बनाना था।

आईएनसीओआईएस, हैदराबाद में ओरिएंटेशन कॉफ्रेंस

विजयवाड़ा में एसईओसी में समन्वयन अभ्यास

कृत्रिम अभ्यास के दौरान स्टेजिंग क्षेत्रों का सक्रियण और स्थापना कार्य

गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में भूकंप पर बहु-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय वृहत् कृत्रिम अभ्यास

गुजरात के 08 जिलों, दमन और दीव के 02 जिलों तथा दादरा और नगर हवेली के 01 जिले में 15-16 मार्च, 2018 को एक साथ भूकंप एक बहु-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वृहत् कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया गया। कृत्रिम अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन सहायता कार्यों के समन्वित प्रयासों की कारगरता का परीक्षण करना था।

ओरिएंटेज़न और समन्वयन कॉफ्रेंस

टेबल टॉप कृत्रिम अभ्यास

कृत्रिम अभ्यास का प्रारंभन (ट्रिगर)

चिकित्सा सहायता चौकी (पोस्ट)

राज्य/जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास (एमई) के लिए स्कीम:

6.9 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तरीय कृत्रिम अभ्यास (एमई) के संचालन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (29 राज्यों, 07 संघ राज्य क्षेत्रों तथा 683 जिलों) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम वर्ष 2016-17 में प्रदान की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति कृत्रिम अभ्यास एक लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। पिछले साल एमई संचालन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.19 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2017-18 के दौरान, 117 लाख रुपए इस स्कीम के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं।

घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण

6.10 राज्यों तथा जिलों को अपने संबंधित क्षेत्र में इस मोचन प्रक्रम को लागू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एनडीएमए द्वारा घटना कार्रवाई प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इस प्रणाली में, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सभी नोडल अधिकारियों/आपातकालीन सहायता पदाधिकारियों (ईएसएफ) को शामिल करके टीमें बनाई जाती है ताकि किसी भी किस्म की आपदा के दौरान प्रभावित समुदायों की जरूरतों का समाधान किया जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान, छत्तीसगढ़, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध प्रदेश, दिल्ली, पुड्डुचेरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा मणिपुर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 13 आईआरएस प्रशिक्षण कैप्सूलों का एनडीएमए द्वारा संचालन किया गया है।

6.11 एचएडीआर अभ्यास : एनडीएमए से प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार सशस्त्र बलों के साथ 03 वार्षिक एचएडीआर अभ्यासों के संचालन में सहायता प्रदान की तथा भाग लिया:

क) 18 से 20 मई, 2017 तक नौसेना द्वारा पश्चिम तट-करवाड़, कर्नाटक में संचालित सुनामी पर एचएडीआर अभ्यास।

ख) 06 से 08 जून, 2017 तक वायुसेना द्वारा शिलांग में संचालित आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन पर एचएडीआर अभ्यास।

ख) 22 से 23 सितंबर, 2017 तक हैदराबाद में संचालित शहरी बाढ़ पर एचएडीआर अभ्यास।

6.12 अन्य प्रशिक्षण कार्यकलाप :

क) केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से एसडीआरएफ कार्मिकों के लिए आपदा मोचन में आठ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कोर्सों का सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज (सीटीसी), सीआपीएफ, कोयबंटूर, एनआईएसए (सीआईएसएफ) कैम्पस, हकीमपुर, हैदराबाद, बीआईडीआर, बीएसएफ अकैडमी, टेकनपुर और एनआईटीएसडीआर, आईटीबीपी, भानु में अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 से फरवरी, 2018 तक संचालन किया गया। कुल 280 कार्मिकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

ख) असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा और सशस्त्र सीमा बल के एसडीआरएफ कार्मिकों के लिए चार बेसिक सीबीआरएन कोर्सों का एनआईएसए, सीआईएसएफ, हैदराबाद में सितंबर से अक्तूबर, 2017 और फरवरी से मार्च, 2018 तक संचालन किया गया। कुल 220 कार्मिकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

ग) संबद्ध एनसीसी अधिकारियों (एएनओ), नागरिक सुरक्षा (सीडी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और होम गार्डस् के लिए चार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कैप्सूलों का जून, सितंबर, दिसंबर, 2017 और फरवरी, 2018 में सभी 12 एनडीआरएफ बटालियन केंद्रों पर संचालन किया गया। लगभग 1050 कार्मिकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

घ) 06-26 मार्च, 2018 तक ओडिशा, अग्निशमन एवं आपदा मोचन अकादमी, भुवनेश्वर में एक तीन सप्ताह के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों के लिए संचालन किया गया। कुल 29 कार्मिकों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

6.13 कार्यशालाएं तथा सम्मेलन :

क) एनडीएमए और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) द्वारा संयुक्त रूप से तिरुवनंतपुरम में 11 से 12 जुलाई, 2017 तक भीड़ प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश में भीड़ संबंधी आपदाओं के प्रति तैयारी बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें प्रशासन/एसडीएमए/श्राइन बोर्डों/धार्मिक ट्रस्टों/मंदिर और मेला समिति और अन्य मोचन एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सशस्त्र बलों और अग्निशमन सेवाओं के विभागों को शामिल किया गया।

ख) 25 से 28 जुलाई, 2017 तक आपदा प्रबंधन पर मुख्यालय आईडीएस में एनडीएमए के एक प्रतिनिधि ने भाग और "आपदा प्रबंधन पर प्रोटोकॉल" पर अपनी एक प्रस्तुति दी।

ग) 'हैम रेडियो तथा आपदा प्रबंधन' पर 17 अगस्त, 2017 को एनडीएमए के सदस्य श्री आर.के. जैन द्वारा एक बैठक की अध्यक्षता की गई।

घ) एनडीएमए से एक प्रतिनिधि ने 23 अगस्त, 2017 को कलपक्कम में आयोजित मद्रास परमाणु शक्ति सयंत्र (एमएपी) ऑफ साइट आपातकालीन अभ्यास में भाग लिया।

ड़) गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 18 से 19 सितंबर, 2017 तक गुवाहाटी में होटलों, शॉपिंग मॉलों और सिनेमाघरों में आपदा के प्रति तैयारी विषय पर असम एसडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और अपनी एक प्रस्तुति दी।

च) भारतीय सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों हेतु 20.03.2018 को एनडीएमए के प्रतिनिधियों द्वारा आईआरएस पर एक प्रस्तुति दी गई।

जागरूकता सृजन

6.14 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जन संपर्क एवं जागरूकता सृजन (पीआर एंड एजी) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किए। इनका फोकस जनता तक पहुंचा कर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। इन जागरूकता अभियानों का टी.वी. प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन जागरूकता अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य है :

क) आसन्न आपदाओं (भूकंप, चक्रवात, बाढ़,

भूस्खलन आदि) के लिए नागरिकों को तैयार करना।

ख) आपदा की स्थितियों को टालने के लिए विभिन्न निवारक और प्रशमन उपायों पर लोगों को जानकारी तथा शिक्षा प्रदान करना।

6.15 2017-18 के दौरान निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए :

श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) अभियान

6.16 दूरदर्शन/आकाशवाणी/डिजिटल सिनेमा/निजी एफएम रेडियो स्टेशन-

दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र और आकाशवाणी पर भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, लू और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो-वीडियो स्पॉटों का प्रसारण किया गया। प्रत्येक आपदा पर 30/40/50 सेकेंडो के अनेक स्पॉटों का उनके संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में 7/10/15 दिनों के लिए एक शफलिंग बेसिस पर प्रसारण किया गया। इसी प्रकार, इन सभी अभियानों (सिवाय भूकंप के) को डिजिटल सिनेमा और निजी एक रेडियो चैनलों पर भी चलाया गया। एक अभियान लोक सभा टी.वी. पर भी प्रसारण किया गया। इन अभियानों का विवरण निम्नानुसार है :-

अभियान	स्पॉट	30 सेकिंडों वाले स्पॉट का विषय	भाषा	उन राज्यों के नाम जहां स्पॉट को चलाया गया	प्रसारण अवधि	प्रसारण
लू	09	1 लू मौत बन सकती है 2 प्राथमिक सहायता (एंबुलेंस के पहुंचने से पहले) 3 सामान्य गर्मी संबंधी सावधानियां (लू से बचने के लिए) 4 गर्मी का पूर्वानुमान (लू चेतावनी प्रणाली का महत्व) 5 घर के अंदर/ घर से बाहर कार्यरत कामगारों कर्मचारियों/झुग्गी झोपड़ी वासियों पर लू के असर 6 बुजुर्गों पर लू के असर	हिंदी और अंग्रेजी	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन	03/06 से 09/06/17 तक
					आकाशवाणी	15/06 से 26/06/17 तक
					डिजिटल सिनेमा (एन एफ डी सी)	01/06 से 15/06/17 तक
					निजी एफएम रेडियो (एन एफ डी सी)	17/05 से 31/05/17 तक

		7 नवजात तथा छोटे बच्चों पर लू के असर 8 पशुओं/पक्षियों पर लू के असर 9 दया धर्म के लघु कार्य				
चक्रवात	02	1 मछुआरा 2 घर फिर बन जाएगा	हिंदी, बंगला, ओडिया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, असमी, कन्नड़, मलयालम	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन	15/06 से 26/06/17 तक
					आकाशवाणी	15/06 से 19/06/17 तक
					डिजिटल सिनेमा (एन एफ डी सी)	01/06 से 15/06/17 तक
					निजी एफएम रेडियो (एन एफ डी सी)	
बाढ़	03	1 अम्मा 2 मैं तैयार हूं 3 अनेकता में एकता	हिंदी, असमी, बंगला, भोजपुरी, गुजराती, कनड़, कश्मीरी, कोंकणी मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी (प्रसारण के लिए)	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के. झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उ.प्र., पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन	23/06 से 29/06/17 तक
					आकाशवाणी	06/06 से 20/06/17 तक
					डिजिटल सिनेमा (एन एफ डी सी)	16/06 से 30/06/17 तक
					निजी एफएम रेडियो (एन एफ डी सी)	15/06 से 29/06/17 तक

भूस्खलन	04	1 हमारी गलती 2 भूगर्भ विज्ञानी (जियोलॉजिस्ट) 3 डाकिया	हिंदी, असमी, मणिपुरी, खासी, गारो, नेपाली, मिजो	पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक	दूरदर्शन	21/09 से 27/11/17 तक
					आकाशवाणी	26/09 से 04/10/17 तक
					डिजिटल सिनेमा (एन एफ डी सी)	20/09 से 04/10/17 तक
					निजी एफएम रेडियो (एन एफ डी सी)	20/09 से 04/10/17 तक
भूकंप	05	1 सलाह से सलामती 2 झुको, ढको, पकड़ो 3 सावधान है तो जान है 4 तैयारी में है समझदारी 5 गैर–संरचनात्मक	हिंदी, गुजराती, असमी, बंगला, मराठी, अंग्रेजी, ओडिशा	1 भूकंप क्षेत्र–III और IV 2 भूकंप क्षेत्र–V अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, भूकंप क्षेत्र–IV और भूकंप क्षेत्र–III	दूरदर्शन	14/02/18 से 24/02/18 तक
					आकाशवाणी बॉलीबुड आधारित कार्यक्रम (चाँद के परदे से)	19/09/18 से 16/10/17 तक
						29.02.18 से 09.02.18 तक और
						05.03.18 से 27.03.18 तक

प्रिंट अभियान

6.17 प्रिंट मीडिया का भी डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न अखबारों में जागरूकता सृजन संबंधी सामग्री को प्रिंट करा कर उपयोग किया गया।

i) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीटी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं-अंग्रेजी (07), हिंदी (08) और क्षेत्रीय भाषाओं (06) में तीन तरह के अखबारों नामत: बड़े (15), मध्यम आकार (04) तथा छोटे आकार, में लू-प्रवण इलाकों में **लू** पर **25/04/2017** तथा **26/05/2017 (प्रत्येक आधा पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

ii) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, एनसीटी, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी (10), हिंदी (15) और क्षेत्रीय भाषाओं (15) में तीन तरह के अखबारों नामत: बड़े (21), मध्यम आकार (16) तथा छोटे आकार (03), में भूकंप–प्रवण और बाढ़ प्रभावित इलाकों में **बाढ़** पर **06/07/2017 (पूरा पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

iii) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड और मेघालय के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी (30), हिंदी (48) और क्षेत्रीय भाषाओं (24) में तीन तरह के अखबारों नामत: बड़े (08), मध्यम आकार (52) तथा छोटे आकार (42), में भूस्खलन–प्रवण इलाकों में **बाढ़** पर **06/09/2017 (पूरा पेज)** की भूस्खलन पर जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गया।

iv) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी (13), हिंदी (04) और क्षेत्रीय भाषाओं (27) में तीन तरह के अखबारों नामत: बड़े (22), मध्यम आकार (17) तथा छोटे आकार (05), में चक्रवात-प्रवण इलाकों में **चक्रवात** पर **03/11/2017 (पूरा पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

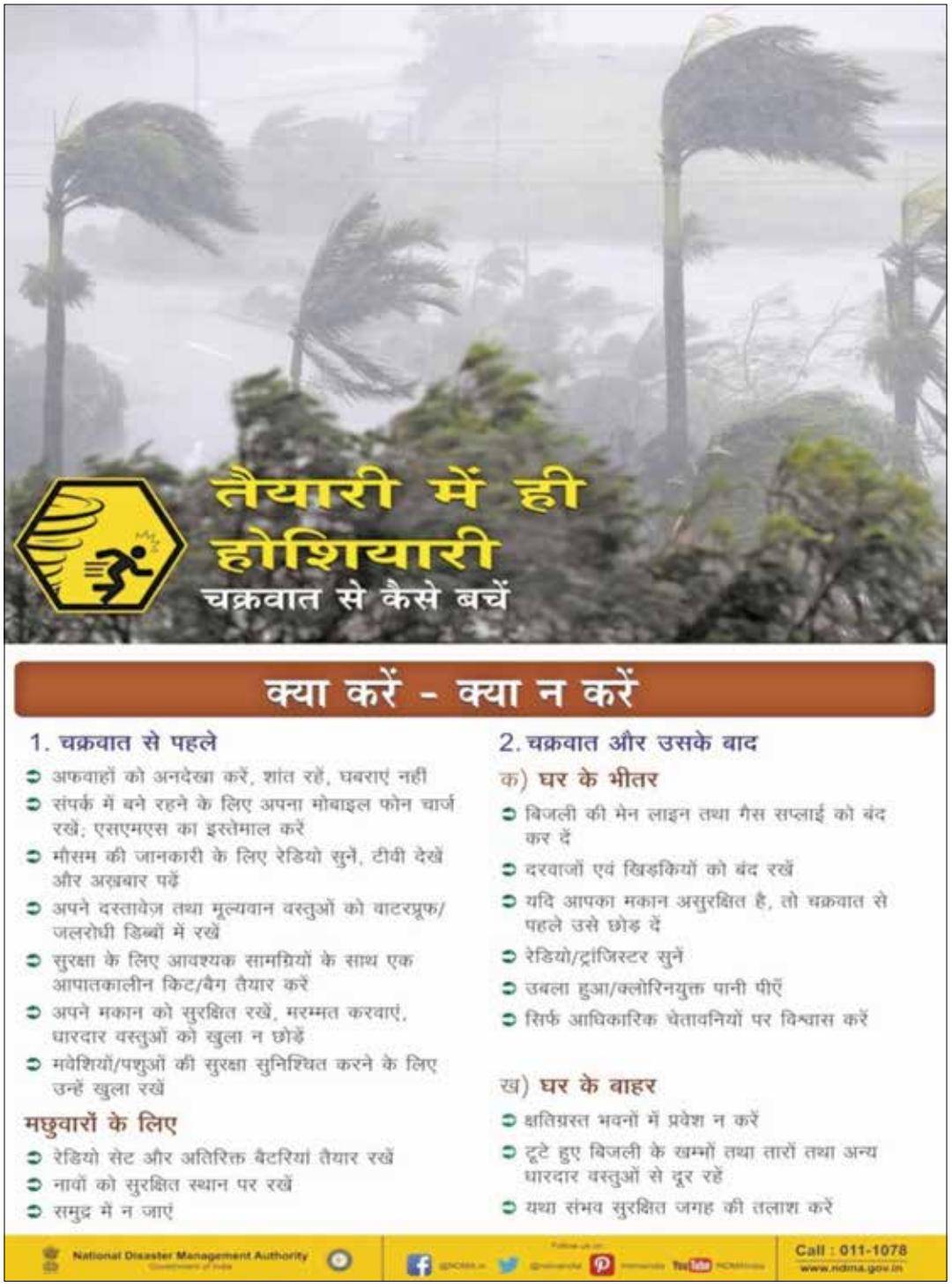

v) उत्तरी तमिलनाडु और चेन्नई के मुख्य शहरों (विशेष रूप से कांचीपुरम, नागापट्टीनम, पुडलोर, चेन्नई, तिरुवन्नामलाई और तिरुवल्लूर के जिलों) को कवर करने के लिए के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी (01), हिंदी (01) और क्षेत्रीय भाषाओं (06) में तीन तरह के अखबारों नामत: बड़े (04), मध्यम आकार (02) तथा छोटे आकार (02), में शहरी बाढ़–प्रवण इलाकों में **शहरी बाढ़** पर **16/11/2017 (पूरा पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

vi) उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी राजस्थान के पांच इलाकों और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली/एनसीआर, बिहार और असम के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी (05), हिंदी (08) और क्षेत्रीय भाषाओं (13) में शीत लहर–झेलने वाले इलाकों में **शीत लहर** पर **04/01/2018 (चौथाई पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

vii) भूकंप क्षेत्र-V नामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और भूकंप जोन IV तथा भूकंप जोन III के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए हेतु निम्नलिखित भाषाओं-अंग्रेजी (33), हिंदी (33) और क्षेत्रीय भाषाओं (35) में भूकंप-प्रवण इलाकों में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े (21), मध्यम आकार (52) तथा छोटे आकार (16), में **भूकंप** पर **10/02/2018 (पूरा पेज)** की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

एन.डी.एम.ए. के 13वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.18 दिनांक 28.09.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर समारोह के विषय (थीम) – 'स्कूल सुरक्षा'–पर बोलते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने एनडीएमए को अपनी आपदा प्रबंधन योजना में बच्चों को जोड़ने के काम पर फोकस करने के लिए बधाई दी।

6.19 विभिन्न राज्यों ने स्कूल सुरक्षा की दिशा में किए गए अपने प्रयास कार्यों से संबंधित बेहतरीन प्रथाओं और सीखे गए सबकों पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने स्कूल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षा ऑडिट, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण, अनुरूपन अभ्यास, संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्कूल के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के विषय को शामिल किया जाना, को कवर किया।

6.20 केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान (सीबीआरआई) ने असुरक्षित स्कूली बिल्डिंगों की रेट्रोफिटिंग पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के प्रतिनिधियों ने भी स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों पर भी प्रस्तुतियां ली। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करते समय आपदा के प्रति तैयारी को सुनिश्चित करते हैं तथा किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्होंने स्कूल प्राधिकरणों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच स्कूल सुरक्षा के लिए सहयोग की जरूरत पर भी प्रकाश डाला।

6.21 उद्घाटन सत्र में नौका सुरक्षा तथा सांस्कृतिक विरासत स्थल एवं परिवेश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों और वर्ष 2015 की चेन्नई बाढ़ पर एक अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन किया गया।

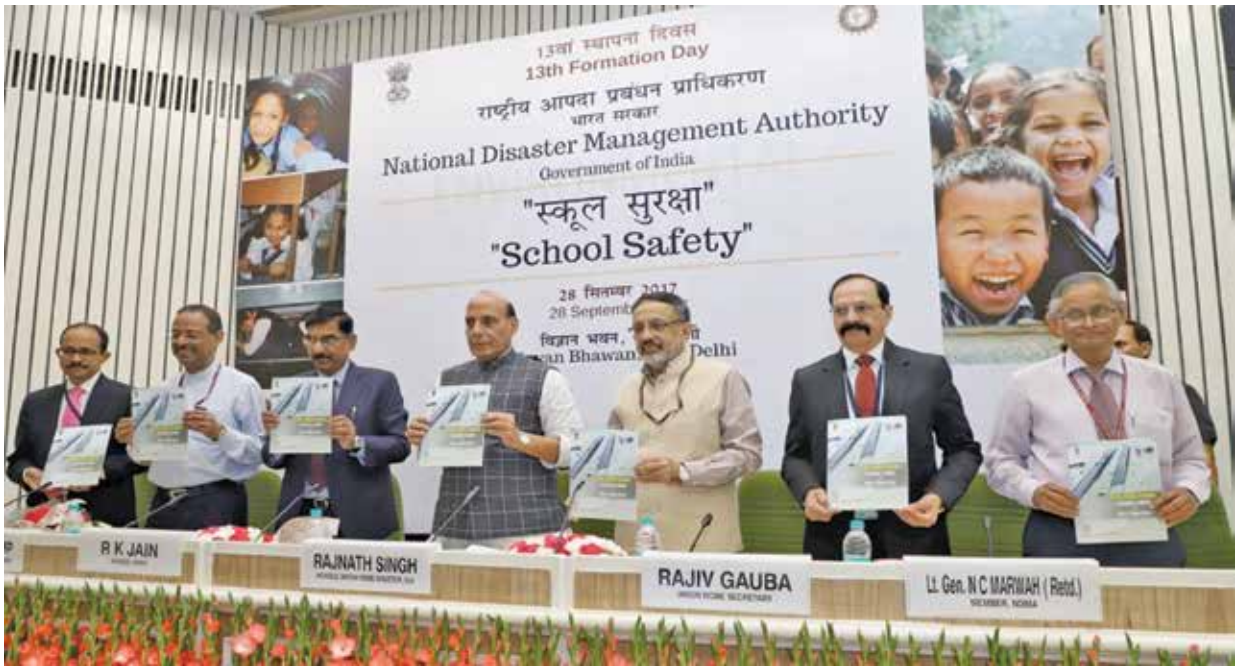

6.22 समापन भाषण देते हुए श्री किरेन रिजीजू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसी आपदा के दौरान तेज तथा करगर मोचन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा कर प्रथम मोचकों के कार्य को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

6.23 डॉ० पी.के. मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, श्री राजीव गाबा, केंद्रीय गृह सचिव तथा श्री अनिल स्वरूप, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। श्री आर.के. जैन, सदस्य, एनडीएमए ने पिछले एक साल के दौरान एनडीएमए द्वारा किए गए कार्यकलापों पर प्रकाश डाला।

एनडीएमए ई-न्यूजलैटर और ब्लॉग

6.24 एक नई डिजिटल पत्रिका और एक आधिकारिक ब्लॉग, दोनों का नाम 'आपदा संवाद', प्रारंभ किए गए। इन मंचों का उपयोग हितधारकों को एनडीएमए, एसडीएमए के बड़े कार्यकलापों, डीआरआर पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ के इंटरव्यू आदि के बारे में सूचना देने के लिए किया गया। इस पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित तथा मीडिया हाउसों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक रूप से साझा किया जाता है। इसी तरह, ब्लॉग को भी नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

अन्य

- महत्वपूर्ण बैठकों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के लिए नियमित रूप से प्रेस रिलीज जारी की गई।
- एनडीएमए ब्लॉग को डीआरआर पर जागरूकता को अधिक से अधिक फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

सोशल मीडिया अभियान

6.25 एनडीएमए ने लू, शीत लहर, भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, सीबीआरएन आपातस्थिति, बाढ़, शीत दंश, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा सहायता, अस्पताल प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, घर की सुरक्षा, धुंध आदि पर 24×7 अभियान चला रहा है। एनडीएमए द्वारा चलाए गए इन अभियानों में चित्रात्मक संकेतों (पिक्टोरियल टेंम्पलेट्स) के माध्यम से आपदाओं पर क्या करें तथा क्या न करें की हिदायतों का प्रचार-प्रसार करना शामिल है। संकट के समय, एनडीएमए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है और प्रभावित समुदायों की मदद करता है। किसी आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर प्राप्त संदेशों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ साझा किया जाता है और तदनुसार बचाव तथा राहत का काम किया जाता है।

ट्विटर रिपोर्ट

6.26 इंप्रेशन/रीच: एन.डी.एम.ए. के ट्वीट्स और फेसबुक की अपडेटें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। न केवल यह उनके निजी खातों पर नजर आती हैं, बल्कि वे इन्हें आगे भी शेयर करते हैं। इस प्रकार ये अपडेटें उन प्रयोक्ताओं (सेकेंडरी यूजर्स) तक भी पहुंच रही हैं जो एन.डी.एम.ए. के अकाउंट्स को फॉलो करते या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसकी अपडेटों को पढ़ रहें हैं:-

ट्विटर रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2017 को फॉलोअर्स: **35,900**
- 31 मार्च, 2018 को फॉलोअर्स: **66,155**
- **बढ़े हुए फॉलोअर्स की संख्या: 30,255**

फेसबुक रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2017 को फॉलोअर्स: **1,89,435**
- 31 मार्च, 2018 को फॉलोअर्स: **2,43,405**
- **बढ़े हुए फॉलोअर्स की संख्या: 53,970**

अध्याय-7

आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के नियंत्रण कक्ष का संचालन (ऑपरेशनलाइजेशन)

7.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) नियंत्रण कक्ष 24×7 (प्रतिदिन) आपदाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी को, जब भी आवश्यक हो, प्रदान करने के लिए कार्यरत (चालू) रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.), केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.), हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस.ए.एस.ई.), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.), मीडिया आदि से रिपोर्टों को समय रहते लेकर इकट्ठा किया जाता है और इनको एन.डी.एम.ए. के अंदर तथा बाहर अधिकारियों के पास, जब और जैसे स्थिति की मांग हो, भिजवाया जाता है। नियंत्रण कक्ष द्वारा आपदा प्रभावित राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती और बचाव तथा राहत प्रयासों के कार्य को पूरे वर्ष मॉनिटर किया गया।

मानसून की स्थिति का विश्लेषण

7.2 श्री आर.के. जैन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. द्वारा देश में मानसून-पूर्व तथा मानसून-पश्चात् स्थिति (अप्रैल से सितंबर, 2017) की समीक्षा के लिए साप्ताहिक बैठकों की अध्यक्षता की गई। बाढ़ प्रवण/प्रभावित राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों/प्रतिनिधियों ने बैठकों में भाग लिया और उन बैठकों में आई.एम.डी., सी.डब्ल्यू.सी., एन.डी.आर.एफ., शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने मानसून की स्थिति पर एक संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। एन.डी.आर.एफ. की तैनाती की नियमित समीक्षा की गई और स्थिति से निपटने के लिए जरूरी हिदायतें दी गई।

अध्याय-8

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

8.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- (i) नीति, योजना और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन, समन्वय, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना और जागरूकता प्रभाग

8.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा आठ सहायक स्टाफ शामिल हैं।

8.3 जनसंपर्क कार्य और जागरूकता सृजन भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

8.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्यागिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और पांच सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

8.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के

पास दिन-रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह मोचन के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है।

8.6 इस प्रभाग का काम प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक अत्याधुनिक संचार नेटवर्क का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के महत्त्वपूर्ण घटकों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 17 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन, समन्वय, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग

8.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ आपदा प्रबंधन पर विस्तृत पत्रचार करते रहना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार-तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इस प्रभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रभाग क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाएं चलाता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 27 है जिसमें एक अपर सचिव, दो निदेशक, तीन अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), तीन अनुभाग अधिकारी और 17 सहायक कर्मचारी हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

8.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा-अनुरक्षण, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनिटर भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा-परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।
- एन.डी.एम.ए. के बजट को तैयार करना तथा उसकी मॉनिटरिंग का काम।

एन.डी.एम.ए. के लिए बजट तैयार करना तथा उसकी मॉनीटरिंग करना

8.9 एन.डी.एम.ए. के लेखों (अकाउंट्स) का हिसाब-किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

एन.डी.एम.ए.-अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय

(हजार रुपए)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 17-18	संशोधित अनुमान 17-18	31.03.2018 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	6942500	6303900	6303233
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	349900	195600	155982
स्थापना प्रभार	282300	277700	268835

टिप्पणी: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय-विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय के आंकड़े समाहित।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य (01.12.2015 से) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.12.2014 से)
4.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
5.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले. जनरल (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)

8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)
10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे.के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)

अनुबंध-II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री आर.के. जैन, सचिव (04.10.2014 से 22.02.2015 तक) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से)
2.	श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव (प्रशा.) एवं परियोजना निदेशक (05.03.2018 से)
3.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से)
4.	श्रीमती आस्था सक्सेना खतवानी, वित्तीय सलाहकार (01.01.2015 से 19.05.2017 तक)
5.	श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव (07.08.2015 से 05.03.2018 तक)
6.	डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (07.09.2015 से 02.07.2016 और 03.01.2017 से)
7.	श्री अनिल कुमार संगी, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (03.12.2013 से)
8.	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (01.11.2017 से)
9.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, निदेशक (08.12.2015 से)
10.	लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देवरानी, संयुक्त सलाहकार (21.08.2017 से)
11.	श्री धीरेन्द्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार (24.06.2013 से)
12.	कर्नल रणबीर सिंह, संयुक्त सलाहकार (11.08.2014 से 10.08.2017 तक)
13.	श्री भूपिन्दर सिंह, उप सचिव (25.02.2013 से)
14.	श्री योगेश्वर लाल, उप सचिव (07.07.2014 से 30.06.2016 तक) निदेशक (01.07.2016 से)
15.	श्री अनुराग राणा, संयुक्त सलाहकार (19.10.2016 से)

16	श्री पुष्कर सहाय, संयुक्त सलाहकार (08.02.2017 से)
17.	श्री विजय सिंह नेमिवाल, संयुक्त सलाहकार (31.05.2017 से)
18.	कर्नल अमित खोसला, संयुक्त सलाहकार (13.11.2017 से)
19.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
20.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
21.	श्री तुराम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
22.	श्री एम.ए. प्रबाकरन, सहायक वित्तीय सलाहकार (15.09.2014 से)
23.	श्री सुनील सिंह रावत, अवर सचिव (30.03.2015 से)
24.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (06.04.2015 से)
25.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव (28.03.2014 से)
26.	श्री राजेन्द्र कुमार बंधु, अवर सचिव (19.02.2016 से)
27.	श्री मोहन लाल शर्मा, अवर सचिव (16.09.2016 से)
28.	श्रीमति आम्रपाली दीक्षित, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से)
29.	श्री नवीन कुमार, सहायक सलाहकार (22.07.2016 से)
30.	श्री कमल किशोर राव, सहायक सलाहकार (29.09.2016 से)
31.	श्री दीपक अहलावत, ड्यूटी अधिकारी (30.01.2017 से)
32.	श्री सुशील कुमार, ड्यूटी अधिकारी (13.02.2017 से)
33.	डॉ० पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से)
34.	डॉ० एस.के. जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
35.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
36.	डॉ० मोनिका गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (24.07.2013 से)